संख्या-27/845/58-1-2025-54-2099/42/2023 टी0सी0

प्रेषक,

लीना जौहरी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 13 मई, 2025

विषय:- **नैफेड के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों हेतु अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति कराये जाने हेतु राज्य सरकार से अतिरिक्त धनराशि के मांग के सम्बन्ध में।**

महोदया,

भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास योजना एक शीर्ष कार्यक्रम है। उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माँ की शारीरिक पोषण में वृद्धि करते हुये क्षमता संवर्धन करना तथा गर्भवती महिलाओं एवं किशोरियों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार करना, इत्यादि हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं (केवल आंकाक्षात्मक जनपदों हेतु) को अनुपूरक पुष्टाहार प्रदान किया जाता है। अनुपूरक पुष्टाहार योजना में भारत सरकार व राज्य सरकार की सहभागिता 50-50 प्रतिशत निर्धारित है।

शासनादेश संख्या-19/2020/2591/58-1-2020-2/1(116)17टीसी-सी, दिनांक 01.10.2020 के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाई (टीएचआर यूनिट) की स्थापना कर रेसिपी आधारित पुष्टाहार उत्पादन कर आंगनबाड़ी केन्द्र पर आपूर्ति किया जाता है। सम्पूर्ण प्रदेश में उत्पादन हेतु वांछित अवस्थापना को विकसित करने में समय लगने के दृष्टिगत पुष्टाहार की सेवाओं को निर्विघ्न बनाये रखने हेतु शासन के पत्र संख्या-589/58-1-21-2/1(116) /17टीसी-सी, दिनांक 09.03.2021 के क्रम में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नेफैड के माध्यम से फोर्टिफाइड गेहूं दलिया, चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल तथा खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल विभाग के लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पत्र संख्या-52/3363/टीएचआर/2022-23, दिनांक 05.01.2023 द्वारा उत्पादन इकाईयों के माध्यम से पुष्टाहार आपूर्ति के संबंध में प्रदेश के समस्त जनपदों में 347 इकाईयों को वर्ष 2026-27 तक स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2- इस संबंध में निदेशालय के पत्र संख्याः 734/बा0वि0परि0/पो0एवं स्वा0/2024-25 दिनांक 21 जनवरी, 2025 एवं पत्र संख्याः 876/बा0वि0 परि0/पो0एवं स्वा0/2024-25 दिनांक 12 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा अवगत कराते हुये कि नैफेड द्वारा उपलब्ध करायी जा रही चना दाल/मसूर दाल की एमएसपी/ईश्यू प्राइस तथा अन्य सामग्रियों के बाजार मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं, जिसके दृष्टिगत नैफेड द्वारा त्रैमास के प्रारम्भ में पुष्टाहार सामग्री की दरें उपलब्ध करायी जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थीवार निर्धारित कास्ट नार्म 2017 के अनुसार है तथा निदेशालय पत्र दिनांक 21.01.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय त्रैमास हेतु लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति कराये जाने हेतु माह- अक्टूबर 2024, नवम्बर 2024 तथा माह- दिसम्बर 2024 में कुल रू0- 25,92,40,741.79 (पचीस करोड बानबे लाख चालीस हजार सात सौ इकतालीस रू0 उन्यासी पैसे) एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 चतुर्थ त्रैमास में लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति कराये जाने हेतु माह- जनवरी 2025 फरवरी 2025 तथा माह मार्च 2025 में कुल रू0- 25,97,52,624.75 (पचीस करोड सत्तानबे लाख बावन हजार छः सौ चौबीस रू0 पचहत्तर पैसे) अर्थात कुल रू0 51,89,93,366.54 (इक्यावन करोड़ नवासी लाख तिरानबे हजार तीन सौ छाछठ रू0 चौवन पैसे) राज्य सरकार से TOP-UP के रूप में अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है। साथ ही नैफेड द्वारा त्रैमास के प्रारंभ में अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराये जाने हेतु सामग्रियों की दरें उपलब्ध करायी जाती हैं। ऐसी स्थिति में यदि आगामी वित्तीय वर्षों में नैफेड द्वारा उपलब्ध करायी गई दरें, निर्धारित कॉस्ट नार्म से अधिक होती हैं, तो तद्नुसार टाप-अप की धनराशि नैफेड को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3- अतः नैफेड के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों हेतु अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति कराये जाने हेतु राज्य सरकार से अतिरिक्त धनराशि के मांग के सम्बन्ध में निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव के दृष्टिगत शासन द्वारा सक्षम स्तर से सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि:-

3.1- आंगनबाड़ी केन्द्र के 06 माह से 03 वर्ष के बच्चें व अति कुपोषित बच्चों हेतु प्रति लाभार्थी प्रति-दिन निर्धारित कॉस्ट नार्म के अंतर की धनराशि के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय त्रैमास में लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति कराये जाने हेतु माह- अक्टूबर 2024, नवम्बर 2024 तथा माह- दिसम्बर 2024 में कुल रू0- 25,92,40,741.79 (पचीस करोड बानबे लाख चालीस हजार सात सौ इकतालीस रू0 उन्यासी पैसे) एवं चतुर्थ त्रैमास में लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति कराये जाने हेतु माह- जनवरी 2025 फरवरी 2025 तथा माह मार्च 2025 में कुल रू0-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

25,97,52,624.75 (पचीस करोड सत्तानबे लाख बावन हजार छ: सौ चौबीस रू0 पचहत्तर पैसे) अर्थात कुल रू0 51,89,93,366.54 (इक्यावन करोड़ नवासी लाख तिरानबे हजार तीन सौ छाछठ रू0 चौवन पैसे) राज्य सरकार से TOP-UP के रूप में अतिरिक्त धनराशि की अनुमति श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्षो में नैफेड द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरें, निर्धारित कॉस्ट नार्म्स से यदि अधिक होती हैं, तो तदनुसार टाप-अप की धनराशि नैफेड को उपलब्ध कराने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

3.2- नैफेड द्वारा उपलब्ध करायी गई दरों पर आपूर्ति हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत (के. 50% व रा. 50%) भारत सरकार द्वारा निर्धारित कास्ट नार्म्स के अतिरिक्त/अन्तर की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना होगा।

3.3- पूर्व में शासनादेश संख्या-62/2023/3658/58-1-2023/54-2099/ 42/2023, दिनांक 21.12.2023 द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाई (टीएचआर यूनिट) की कॉस्ट नार्म व वर्तमान लागत अनुसार अंतर हेतु अतिरिक्त धनराशि (गैप फण्ड), रू0 262.13 करोड़ की धनराशि एकमुश्त उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को प्रदान की गई है, किन्तु नैफेड हेतु पूर्व में कभी अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की गई है।

3.4- एन0एफ0एस0ए0, 2017 तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अनुसार वर्ष में 300 दिन (माह में औसतन 25 दिन) आंगनबाड़ी केन्द्र के लाभार्थियों (06 माह से 03 वर्ष, 03 से 06 वर्ष, गर्भवती एवं धात्री मातायें, किशोरी बालिकायें एवं कुपोषित बच्चों) को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाना है।

3.5- उल्लेखनीय है कि नई योजना "अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत पोषाहार हेतु टॉपअप की व्यवस्था" के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में धनराशि रु0 16990.12 लाख (रु0 एक अरब उनहत्तर करोड़ नब्बे लाख बारह हजार मात्र) का बजट प्रावधान अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण -अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत पोषाहार हेतु टॉपअप की व्यवस्था के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में नई मांग (एस.एन.डी.) के माध्यम से बजट प्राविधान किया गया है।

4- उक्त के दृष्टिगत अनुपूरक पुष्टाहार की निरंतरता हेतु भविष्य में नैफेड द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली चना दाल के अनुपलब्धता की स्थिति में चना दाल के स्थान पर किसी भी अन्य सामग्री का विकल्प व आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री निर्धारित कास्ट नार्म्स से अधिक होने की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित होगा।

अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-27/**845(1)/58-1-2025-54-2099/42/2023 टी0सी0**, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(4) विशेष सचिव, **गोपन अनुभाग-1**, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(7) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
(10) आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
(11) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।